

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि०न०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/33/2023	2023/34	07.02.2023	21.05.2024

1. नानगराम पुत्र झण्डूराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम चन्दपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर राज०।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर (राज०)

—रेस्पोजेन्ट

अपील बनाराजी तजबीज न्यायालय, तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर (राज०) मुकदमा नं. 27/22 दिनांक 10.11.2022 जिसके द्वारा आराजी खसरा नंबर 3449 रकबा 1.75 है० चारागाह वाके ग्राम अहीरबास, तह० मालाखेडा पर अपीलान्ट को संवत 2079 में रकबा 0.25 है० अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर, मिन अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर मिन अपीलान्ट को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91(3) के प्रावधानो के अनुसार आराजी खसरा नंबर 3449 रकबा 1.75 हक्टेयर किस्म चारागाह वाके ग्राम अहीरबास, तह० मालाखेडा पर संवत 2079 में रकबा 0.25 है० से बेदखलल किया गया तथा लगान 1/-रूपये का 50 गुणा कुल 50/-रूपये शास्ति से दण्डादेशित किया गया व पश्चातवर्ती अतिक्रमी किये जाने के फलस्वरूप 3 माह का सिविल कारावास से दण्डित किया गया। बमुराद मंसुखी तजबीज तहत अदालत व मंजूर किये जाने अपील अपीलान्ट।

उपस्थित:-

01. श्री अश्वनी भार्गव
02. राजकीय अभिभाषक

—वकील अपीलान्ट
—वकील रेस्पोजेन्ट


—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय, तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर (राज०) मुकदमा नं. 27/22 दिनांक 10.11.2022 जिसके द्वारा आराजी खसरा नंबर 3449 रकबा 1.75 है० चारागाह वाके ग्राम अहीरबास, तह० मालाखेडा पर अपीलान्ट को संवत 2079 में रकबा 0.25 है० अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर, मिन अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर मिन अपीलान्ट को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91(3) के प्रावधानो के अनुसार आराजी खसरा नंबर 3449 रकबा 1.75 हक्टेयर किस्म चारागाह वाके ग्राम अहीरबास, तह० मालाखेडा पर

dsj
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

संवत् 2079 में रकबा 0.25 है० से बेदखल किया गया तथा लगान 1/-रूपये का 50 गुणा कुल 50/-रूपये शास्ति से दण्डादेशित किया गया व पश्चातवर्ती अतिक्रमी किये जाने के फलस्वरूप 3 माह का सिविल कारावास से दण्डित करने से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि उक्त प्रकरण में तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट के नाम नोटिस जेर दफा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जारी किया। जिस पर मिन अपीलान्ट तहत अदालत में तारीख 07.09.2022 को उपस्थित हुआ मिन अपीलान्ट अनपढ हैं पढा-लिखा नहीं हैं तथा अंगूठा करता है तहत अदालत ने टाईपिस्ट को बुलाकर मिन अपीलान्ट के खाली कागज पर दस्तख्त कराये व टाईपिस्ट ने मिन अपीलान्ट के खाली कागज जिस पर निशानी अंगूठा कराया व टाईपिस्ट ने मिन अपीलान्ट के खाली कागज जिस पर मिन अपीलान्ट ने निशानी अंगूठा कर रखा था लिखकर तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट से पेश कराया व तहत अदालत ने कहा कि अब तुझे आने की जरूरत नहीं है तेरा मुकदमे का निस्तारण हो गया है। तारीख 30.01.2023 को मिन अपीलान्ट के पास सरकारी कर्मचारी आया व शास्ति की मांग की व मिन अपीलान्ट को सिविल कारावास भेजने के बाबत कहा। जिस पर मिन अपीलान्ट ने उसी दिन तहत अदालत से उक्त निर्णय की प्रति लेने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर नकल प्रति दिनांक 30.01.2023 को मिली। उक्त प्रति मिलने पर मिन अपीलान्ट ने अपने वकील साहब से सलाह मशवरा किया जिन्होंने अपील दायर करने के बाबत कहा। जिस पर मिन अपीलान्ट ने रूपये आदि का इन्तजाम किया। जिससे बिला देरी के अपील पेश है। जिस बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 05 मियाद अधिनियम का अलग से पेश है। जिस बाबत अपीलान्ट ने अपील पेश करने में देरी नहीं हैं जिससे प्रार्थना पत्र जेर दफा 05 मियाद अधिनियम अलग से पेश है। मिन अपीलान्ट ने अपील दायर करने में दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है जो देरी काबिल माफी है।

तजबीज न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर (राज०) होने से अपील काबिल समाअत अदालत श्रीमान् है। तजबीज अदालत मातहत बेजा व खिलाफ मंसाय कानून व रुएदार मिसल महज कयासया है। मिन अपीलान्ट ने आराजी मुतनाजा पर अतिक्रमण करके कब्जा नहीं किया है। मिन अपीलान्ट को गलत तरीके पर नोटिस दिया है। पटवारी हल्का द्वारा गलत तरीके पर मौके के खिलाफ द्वेषतावश रिपोर्ट ऑफिस में बैठकर तैयार की है व गलत तरीके पर तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट के नाम नोटिस अन्तर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जारी किया है। तहत अदालत ने टाईपिस्ट को बुलाकर मिन अपीलान्ट के खाली कागज पर दस्तख्त कराये व टाईपिस्ट ने मिन अपीलान्ट के खाली कागज जिस पर निशानी अंगूठा कराया व टाईपिस्ट ने मिन अपीलान्ट के खाली कागज जिस पर मिन अपीलान्ट ने निशानी अंगूठा कर रखा था लिखकर तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट से पेश कराया व तहत अदालत ने कहा कि अब तुझे आने की जरूरत नहीं है तेरा मुकदमे का निस्तारण हो गया है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

उक्त नोटिस धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में वर्णित आराजी खसरा नंबर 3449 रकबा 1.75 हैक्टेयर व 3448 रकबा 0.55 है0 किरम चारगाह वाके ग्राम अहीरवास, तहसील मालाखेडा में से 0.25 हैक्टेयर के बाबत जारी किया है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट गलत तरीके पर राजनीतिक पार्टीबाजी के कारण मौके के खिलाफ की है व तहत अदालत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करके मिन अपीलान्ट के नाम जेर दफा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत मिन अपीलान्ट को नोटिस दिया। जिसकी तामील मिन अपीलान्ट पर नहीं हुई व ना जवाबदेही पेश करने का मौका दिया व पटवारी के बयानों में मिन अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण आराजी मुतनाजा पर किया जाना जाहिर किया है। जिस पर तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट को 3 माह का सिविल कारावास व पैनल्टी अदा करने का आदेश दिया है। तहत अदालत मातहत न्यायिक विधि व तथ्यों व पत्रावली के सर्वथा विपरीत आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपनी आज्ञा पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को पटवारी हलका से जिरह करने का मौका कतई नहीं दिया जो दिया जाना अति आवश्यक है व ना मौके पर जाकर आराजी मुतनाजा की पैमाईश की। मिन अपीलान्ट ने आराजी मुतनाजा पर ना तो पहले कब्जा किया व ना पुनः कब्जा किया। आराजी मुतनाजा के पास ही तहत अदालत ने इकतरफा दिमाग बनाकर आदेश पारित किया है मिन अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया है ना ही मिन अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। परन्तु मातहत अदालत ने गौर नहीं किया है। मौके पर मिन अपीलान्ट द्वारा आराजी मुतनाजा पर पुनः कब्जा करने का कोई सबूत नहीं था लेकिन फिर भी तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजाए जेल व जुर्माना देने में भूल की है। मिन अपीलान्ट ने आराजी मुतनाजा पर ना तो पहले अतिक्रमण किया व ना पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया।

पटवारी हलका मिन अपीलान्ट से दिली रंजिश रखता है। इस कारण पटवारी हलका ने गलत तरीके पर रिपोर्ट की है व गलत तरीके पर बयान दिये है। पटवारी हल्का ने विवादित आराजी की कोई पैमाईश नहीं की व ना ही मिन अपीलान्ट को बुलाया व ना ही किसी पडौसी को बुलाया कुल कार्यवाही बालाबाला राजनैतिक पार्टीबाजी के कारण की है। मिन अपीलान्ट चन्दपुरा, तहसील राजगढ में निवास करता है व आराजी मुतनाजा ग्राम अहीरवास तहसील मालाखेडा में वाके है। आराजी मुतनाजा के पास ही मिन अपीलान्ट के हकूक कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर मिन अपीलान्ट काबिज दाखिल है। पटवारी हल्का ने विवादित आराजी की कोई पैमाईश नहीं की व ना ही मिन अपीलान्ट को बुलाया व ना ही किसी पडौसी को बुलाया कुल कार्यवाही बालाबाला राजनैतिक पार्टीबाजी के कारण की है। आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलान्ट का कब्जा ना कभी था व ना है पश्चातवर्ती कब्जा आराजी मुतनाजा पर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आराजी मुतनाजा शुरू से ही पडत पडी हुई है। मिन अपीलान्ट गरीब बाल बच्चेदार है जो अधेड उम्र हैं मिन अपीलान्ट को तहत अदालत ने सजाए जेल जुर्माना करने में भारी भुल की है। दीगर एतराजात वक्त समाअत बहस सेवा मे ओर अर्ज किये जायेंगे।

अतिरिक्त जिला कमिश्नर (द्वितीय)
अलवर (राजग)


अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट गंजूर फरमायी जाकर तहत अदालत की आज्ञा दिनांक 10.11.2022 मंसुख फरमाया जावे व सजाए जेल व जुर्माने (पैनल्टी) का हुकम स्थगित फरमाया जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेरपौ0 को जरिये नोटिसा तलव किया गया। रैस्पोंडैन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपरिथत। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलव किया गया। रैस्पोंडैन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व गण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रुख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन-मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा रिकॉर्डेड अवगत मिन अपीलान्ट ने आराजी मुतनाजा पर ना तो पहले अतिक्रमण किया व ना पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया। अतिक्रमण मुक्त भूमि वावत् तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट भी पत्रावली में शामिल है। अपील अपीलान्ट द्वारा यह भी अंकित कराया गया कि जमीन चारागाह है। मेरा कोई कब्जा नहीं है। सजा के बिन्दु पर सहानुभूति पूर्ण विचार करने हेतु निवेदन वकील अपीलान्ट द्वारा किया गया। बहस के बिन्दु एवं रिकॉर्ड का मिलान किया गया अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 10.11.2022 प्रकरण संख्या 26/2022 को सजा के बिन्दु तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मालाखेडा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मौके की जांच की जाए और जांच में यदि कब्जा पाया जाता है तो विधिवत प्रकरण दर्ज कर, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए 45 दिवस में आदेश पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)